



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042026-271861
CG-DL-E-16042026-271861

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1843]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2026/चैत्र 25, 1948

No. 1843]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2026/CHAITRA 25, 1948

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026

का.आ. 1912(अ).— जबकि मेसर्स राघनेस्दा आर ई ट्रांसमिशन लिमिटेड ने, जिसका पंजीकृत कार्यालय 161, प्रथम तल, वर्धमान क्राउन मॉल, सेक्टर 19, द्वारका, अम्बरहाई, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली – 110075 में स्थित है, ने ट्रांसमिशन स्कीम, “गुजरात के राघनेस्दा क्षेत्र से नवीकरणीय ऊर्जा निकासी हेतु पारेषण प्रणाली - चरण-I के अंतर्गत 3 गीगावाट” में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/18/2025-PG दिनांक 28.01.2025 के अंतर्गत ट्रांसमिशन स्कीम, “गुजरात के राघनेस्दा क्षेत्र से नवीकरणीय ऊर्जा निकासी हेतु पारेषण प्रणाली - चरण-I के अंतर्गत 3 गीगावाट” में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स राघनेस्दा आर ई ट्रांसमिशन लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 20.10.2025, गुजरात वैभव (हिन्दी में) दिनांक 20.10.2025 और जनादेश (गुजराती में) दिनांक 20.10.2025, तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 08.11.2025 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स राघनेस्दा आर ई ट्रांसमिशन लिमिटेड, ने दिनांक 05.02.2026 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के शासकीय राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से कोई भी अवलोकन / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

मेसर्स राघनेस्दा आर ई ट्रांसमिशन लिमिटेड ने दिनांक 7.1.2026 को एक वचन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का मार्ग राजस्थान/गुजरात के संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) प्राथमिकता क्षेत्र के बाहर स्थित है, जैसा कि रिट याचिका)सिविल (संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश में संदर्भित है। आवेदक ने यह भी वचन दिया है कि वह उक्त निर्णय में निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों तथा उक्त आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पूर्णतः पालन करेगी। साथ ही, आवेदक ने यह भी बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन का संरेखण इस प्रकार बेहतर बनाया गया है कि जहाँ तक संभव हो, वे अधिकतम साझा मार्ग का उपयोग करें।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स राघनेस्दा आर ई ट्रांसमिशन लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन शामिल हैं:

- राघनेस्दा (जीआईएस) - बनासकांठा (पीजी) 765 केवी डी/सी लाइन।

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन गुजरात राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँव	तहसील	जिला	राज्य
वाव, बुकाना, रावला, मालसन, वावडी, चंदरवा, आसरा, मोरीखा, देवपुरा, बैयाक, धारादरा, खिमनपदर, रेलुची, मडका	वाव	थराद	गुजरात
चारदा, अभेपुरा, मोती पावड़, संविया, नगला, नानी पावड़, वाजपगढ़, खानपुर, लूणावा, जेतडा, मालूपुर, जांदला, डेल, संधार, खोरदा, डोगम, थराद, पददार, शिवनगर	थराद		
राछेना, सप्रेडा, गोलगम, अछुवा, नालोदर, सरदारपुरा, गंभीरपुरा, उचापा, धीमा, चुवा, लोदरानी, भाखरी, उम्मेदपुरा, अंबेडकरनगर, जोड़िया	धरणीधर		
पोरना, सोनी, सेसन नवा, सेसन जूना, मखानु, रेंटिला, मोजरू जूना, सनव, नाराणा, मानपुर, जलोधा, वातम जूना, वातम नवा, नवापुरा, मोजरू नवा, कुनवाना, जसाली,	देवदार	बनासकांठा	

चिबड़ा, दौवा, धनकवाड़ा, कोटाला (फोर्ना), डुचकवाड़ा, ओढ़ा, गंगोल, माधोपुरा, रंतीलानाना			
रामवास, मुडेथा, बलोधर, यावरगंजी, पोलडी, भीलडी, नेसदा नावा, सोयला, नेसदा जूना, रतनपुरा	डीसा		
चलवा, लिम्बौ, अछवदिया, मकदला, वाजेगढ़, पीपलू, लावाणा, शेरगढ़	लाखनी		
खोडला, खिमाणावास	कांकरेज		

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स राघनेस्दा आर ई ट्रांसमिशन लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- vi. मेसर्स राघनेस्दा आर ई ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/25/2026-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th April, 2026

S.O. 1912(E).— Whereas M/s Raghnesda RE Transmission Limited, the applicant with its registered office at 161, 1st Floor, Vardhman Crown Mall, Sector 19, Dwarka, Amberhai, South West Delhi, New Delhi- 110075, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission system for evacuation of RE power from Raghnesda Area of Gujarat - 3GW under Phase-I”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its Letter No. 25-17/18/2025-PG dated 28.01.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission system for evacuation of RE power from Raghnesda Area of Gujarat - 3GW under Phase-I”.

M/s Raghnesda RE Transmission Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Indian Express (in English) dated 20.10.2025 & Gujarat Vaibhav (in Hindi) dated 20.10.2025, Janadesh (in Gujarati) dated 20.10.2025 and in Weekly Gazette of India dated 08.11.2025 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Raghnesda RE Transmission Limited has submitted an affidavit dated 05.02.2026 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India or that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

M/s Raghnesda RE Transmission Limited has submitted an Undertaking dated 7.1.2026 stating that the route of the proposed overhead transmission line(s) is located outside the Revised Great Indian Bustard (GIB) Priority Area of Gujarat, as referred to in the judgment of the Hon’ble Supreme Court of India dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019; the applicant has further undertaken to comply with all directions of the Hon’ble Supreme Court as contained in the said judgment as well as with any subsequent directions issued by the competent authorities in pursuance of the above order by the Hon’ble Supreme Court, and has also stated that the transmission line alignment has been optimized, in such a way that they share maximum common stretch to the extent possible

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for M/s Raghnesda RE Transmission Limited. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

- Raghnesda (GIS) – Banaskantha (PG) 765 kV D/C line

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Gujarat:

Villages	Tehsil	District	State
Vav, Bukana, Ravla, Malsan, Vavdi, Chandarva, Asara, Morikha, Devpura, Baiyak, Dharadara, Khimanapadar, Reluchi, Madka	Vav	Tharad	Gujarat
Charda, Abhepura, Moti Pavad, Sanviya, Nagla, Nani Pavad, Vajpgadh, Khanpur, Lunava, Jetda, Malupur, Jandla, Del, Sandhar, Khorda, Dogam, Tharad, Padadar, Shivnagar	Tharad		
Rachhena, Sapreda, Golgam, Achhuva, Nalodar, Sardarpura, Gambhirpura, Uchapa, Dhima, Chuva, Lodrani, Bhakhri, Umedpura, Ambedkarnagar, Jodiya	Dharanidhar		
Porna, Soni, Sesan Nawa, Sesan Juna, Makhanu, Rantila, Mojru Juna, Sanav, Narana, Manpur, Jalodha, Vatam Juna, Vatam Nawa, Navapura, Mojru Nawa, Kunvana, Jasali, Chibhda, Dauva, Dhanakwada, Kotala(Phorna), Duchakwada, Odha, Gangol, Madhopura, Rantila Nana	Deodar	Banaskantha	
Ramvas, Mudetha, Balodhar, Yavarganji, Poldi, Bhildi, Nesda Nawa, Soyla, Nesda Juna, Ratanpura	Deesa		
Chalva, Limbau, Achhavadiya, Makdala, Vajegadh, Peplu, Lavana, Shergarh	Lakhni		
Khodla, Khimanavas	Kankrej		

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Raghnesda RE Transmission Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Raghnesda RE Transmission Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F. No. 25-16/25/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)